

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1921 /

जबलपुर, दिनांक 12/04/2018

स्व. श्री रमेश कुमार पटेल, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 19.12.2017 तक 172 दिन की अनुपस्थिति अवधि के अवकाश की स्वीकृति हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उक्त अवधि को अवैतनिक किया जाता है।

सही/-
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1922 /

जबलपुर, दिनांक 12/04/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/वैतन पत्रक/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
6. श्रीमती रामकली पटेल पत्नी स्व. श्री रमेश कुमार पटेल, भृत्य, यूनिक कोड नं. 180009122, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
पता-- मकान नं. 1048/3, लालमाटी, सिद्ध बाबा बिहारी मोहल्ला घमापुर जबलपुर
मो. नं. 7828820235
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)